I/88085/2023

सख्याः 88085/XXVII(7)/E-43634/2022

प्रेषक,

दिलीप जावलकर,
सचिव,
उत्तराखण्ड शासन।

सेवा में,

समस्त अपर मुख्य सचिव/प्रमुख सचिव/
सचिव/सचिव (प्रभारी), उत्तराखण्ड शासन।

वित्त (वे0आ0–सा0नि0) अनुभाग–7 **देहरादूनः** **दिनांक** 03 जनवरी, 2023

विषयः पदोन्नति/वित्तीय स्तरोन्नयन स्वीकृत विषयक आदेश में वेतन निर्धारण हेतु तिथि विकल्प का उल्लेख/प्रपत्र उपलब्ध कराये जाने के सम्बन्ध में।

महोदय,

उपर्युक्त विषयक वित्तीय हस्त पुस्तिका खण्ड–2 भाग 2 से 4 के मूल नियम–22(ए)(1) एवं 22–बी(1) तथा शासनादेश संख्य–जी–2–854/दस–333/86 दिनांक 17 सितम्बर, 1988 में पदोन्नति पर पदोन्नति की तिथि अथवा आगामी वेतन वृद्धि की तिथि को तिथि विकल्प के अनुसार वेतन निर्धारण किए जाने की व्यवस्था निर्धारित है। जिसके अन्तर्गत सरकारी सेवक को विकल्प दिए जाने हेतु 01 माह की समय–सीमा निर्धारित की गई है। सातवें वेतन आयोग के अन्तर्गत उत्तराखण्ड वेतन नियम, 2016 एवं एम.ए.सी.पी. योजना सम्बन्धी शासनादेश संख्या–11/XXVII(7)50(16)2016 दिनांक 11 फरवरी, 2018 से आच्छादित प्रकरणों में भी वेतन निर्धारण की उक्त व्यवस्था को यथावत् बनाए रखा गया है।

2. शासन के संज्ञान में आया है कि सरकारी सेवक उक्त तिथि विकल्प की प्रक्रिया को जानकारी के अभाव में अपनाये जाने में सक्षम नहीं हो पा रहे हैं। इससे सरकारी सेवक का वेतन निर्धारण कार्यालयाध्यक्ष/आहरण–वितरण अधिकारी द्वारा विकल्प पत्र के अभाव में पदोन्नति पर कार्यभार ग्रहण करने/वित्तीय स्तरोन्नयन की अनुमन्यता तिथि से ही कर दिया जाता है। जिससे कतिपय प्रकरणों में सरकारी सेवक को वेतन में आर्थिक हानि की सम्भावना हो जाती है। ऐसे प्रकरण शासन को निरन्तर प्राप्त होते रहते हैं, जिनमें "विकल्प दिये जाने की समय सीमा हेतु निर्धारित 01 माह" में शिथिलता प्रदान किए जाने हेतु अनुरोध किया जा रहा है कि उन्हें वेतन निर्धारण सम्बन्धी विकल्प देने अथवा 01 माह की ही समय–सीमा होने की जानकारी नहीं थी और न ही तत्समय कार्यालयाध्यक्ष/ आहरण–वितरण अधिकारी के स्तर से अवगत कराया गया।

3. अतः इस सम्बन्ध में सम्यक् विचारोपरान्त लिये गये निर्णय के क्रम में मुझे यह कहने का निदेश हुआ है कि पदोन्नति/वित्तीय स्तरोन्नयन से सम्बन्धित स्वीकृति आदेश में ही वेतन निर्धारण हेतु तिथि विकल्प सम्बन्धी 01 माह की समय–सीमा का अंकन एवं तिथि विकल्प प्रपत्र अनिवार्यतः उपलब्ध कराये जाने और निम्नवत् वाक्यांश तत्सम्बन्धी आदेशों में अंकित किये जाने की श्री राज्यपाल सहर्ष स्वीकृति प्रदान करते हैं:–

"वित्तीय हस्त पुस्तिका खण्ड 2 भाग 2 से 4 के मूल नियम–22(ए) (1) एवं 22–बी(1) के अन्तर्गत वेतन निर्धारण सम्बन्धी तिथि विकल्प दिए जाने हेतु इस आदेश निर्गमन की तिथि से एक माह की समय–सीमा सरकारी सेवक को उपलब्ध होगी और एक बार दिया गया विकल्प अन्तिम होगा।"

तदनुसार उक्त निर्धारित व्यवस्था का अनुपालन सुनिश्चित कराये जाने का कष्ट करें, ताकि भविष्य में वेतन का निर्धारण **से** किसी कार्मिक को वेतन में हानि न हो।

संलग्नकः–विकल्प प्रपत्र का प्रारूप।

भवदीय,
Signed by Dilip Jawalkar
Date: 02-01-2023 17:55:28
(दिलीप जावलकर)
सचिव।

Generated from eOffice by DINESH RAM, RO-FINANCE-DR, RO-FINANCE, Finance Department on 03/01/2023 12:01 PM

88085

संख्याः (1)/XXVII(7)/E-43634/2022 तद्दिनांक।

प्रतिलिपिः निम्नलिखित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषितः—

1. महालेखाकार, उत्तराखण्ड, महालेखकार भवन, कालौगढ़, देहरादून।
2. सचिव, श्री राज्यपाल, उत्तराखण्ड।
3. सचिव, मा0 मुख्यमंत्री, उत्तराखण्ड शासन।
4. सचिव, विधान सभा, उत्तराखण्ड।
5. महानिबन्धक, मा0 उच्च न्यायालय, उत्तराखण्ड, नैनीताल।
6. मण्डलायुक्त, गढ़वाल / कुमाऊँ।
7. समस्त विभागाध्यक्ष / कार्यालयाध्यक्ष, उत्तराखण्ड।
8. समस्त जिलाधिकारी, उत्तराखण्ड।
9. समस्त अध्यक्ष, जिला पंचायतें, उत्तराखण्ड।
10. निदेशक, कोषागार, पेंशन एवं हकदारी उत्तराखण्ड, 23 लक्ष्मी रोड़, देहरादून।
11. निदेशक, विभागीय लेखा, उत्तराखण्ड।
12. समस्त मुख्य / वरिष्ठ कोषाधिकारी / कोषाधिकारी, उत्तराखण्ड।
13. गार्ड फाईल।

आज्ञा से,

(गंगा प्रसाद)
अपर सचिव।

Generated from eOffice by DINESH RAM, RO-FINANCE-DR, RO-FINANCE, Finance Department on 03/01/2023 12:01 PM

संख्या: 88085/XXVII(7)/E-43634/2022 दिनांक 03 जनवरी, 2023 ~~दिसम्बर, 2022~~ का संलग्नक।

पदोन्नति/वित्तीय स्तरोन्नयन अनुमन्य होने पर वेतन निर्धारण हेतु विकल्प प्रपत्र का प्रारूप

(मूल नियम–22(ए) (1) एवं 22(बी) (1), शासनादेश संख्य–जी–2–854/दस–333/86 दिनांक 17 सितम्बर, 1988 एवं शासनादेश संख्या–11/XXVII(7)50(16)2016 दिनांक 11 फरवरी, 2018 के अन्तर्गत)

मैं..शासनादेश/कार्यालय ज्ञाप/आदेश संख्या...................... दिनांक....................के क्रम में पदोन्नति पर कार्यभार ग्रहण करने की तिथि/वित्तीय स्तरोन्नयन अनुमन्य कराए जाने की तिथि..........................से वेतन निर्धारित किए जाने का विकल्प देता/देती हूँ।

अथवा

मैं..शासनादेश/कार्यालय ज्ञाप/आदेश संख्या...................... दिनांक..................के क्रम में पदोन्नति/वित्तीय स्तरोन्नयन अनुमन्यता उपरान्त अपनी आगामी वेतन वृद्धि की तिथि..से वेतन निर्धारित किए जाने का विकल्प देता/देती हूँ।

हस्ताक्षर...
नाम...
पदनाम...
कार्यालय जिसमें नियुक्त है...................................
कार्मिक संख्या...

* जो लागू न हो, उसे काट दें।

वचनबंध

मैं यह वचन देता/देती हूँ कि मेरा वेतन इन नियमों में अंतर्विष्ट उपबन्धों से विपरीत रीति में निर्धारित हो जाने जिसका पता बाद में लगे, की स्थिति में इस प्रकार किया गया कोई अधिक भुगतान या तो मेरे बकाया भावी भुगतानों से समायोजित करके या फिर अन्य रीति से सरकार को वापस किया जाएगा।

दिनांक..................

स्थान..................

हस्ताक्षर...
नाम...
पदनाम...
कार्यालय जिसमें नियुक्त है...................................
कार्मिक संख्या...

Generated from eOffice by DINESH RAM, RO-FINANCE-DR, RO-FINANCE, Finance Department on 03/01/2023 12:02 PM